स्व0 श्री जयदत्त वैला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

(सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय (अल्मोड़ा) से संबद्ध)

ESTD. 1973

छात्रों, शिक्षण/ गैर-शिक्षण कर्मचारियों

के लिए

आचार संहिता

05946-220372

E_mail: gpgcranikhet1973@gmail.com

prncipaldr.cram@gmail.com

<u>प्रस्तावना</u>

स्व0 श्री जयदत्त वैला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत, भारत के उत्तराखंड राज्य के रानीखेत की शांतिपूर्ण घाटी में स्थित है। 1973 **में स्थापित** यह महाविद्यालय NAAC से मान्यता प्राप्त है और **सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय** से संबद्ध है। मुख्य शहर से दूर यह महाविद्यालय शिक्षण अधिगम के लिए सर्वोत्तम वातावरण प्रदान करता है और इस क्षेत्र के युवाओं की शिक्षा और समग्र विकास के लिए प्रयासरत है। महाविद्यालय शिक्षा और बुनियादी ढांचे से संबंधित सभी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। वर्तमान में महाविद्यालय में कला, विज्ञान, वाणिज्य और शिक्षक शिक्षा (बी.एड.) के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम संचालित हैं और यह उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र है। शिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन के अतिरिक्त महाविद्यालय में पाठ्येतर कार्यक्रमों में विविधता प्रदान करने के लिए एनसीसी (छात्र और छात्राओं की इकाई) एनएसएस, खेल आदि गतिविधियां संचालित हैं जिनका एक प्रशंसनीय रिकॉर्ड रहा है। छात्रों की रचनात्मकता को दर्शाते हुए साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। उच्च शिक्षा में ग्रामीण छात्रों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के साथ छात्रों के व्यावसायिक, सामाजिक और नैतिक विकास पर भी जोर दिया जाता है और इस संबंध में समय के साथ महाविद्यालय एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। एक स्वस्थ और खुशहाल समाज के निर्माण के उद्देश्य से सामुदायिक सेवा और सामाजिक पहल में भी महाविद्यालय अग्रसर है । महाविद्यालय छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अपने प्रदर्शन में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

महाविद्यालय के स्वस्थ और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए आचार संहिता तैयार की गयी है जिसका उद्देश्य महाविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांतों व पेशेवर मानकों को परिभाषित करना है। आचार संहिता एक संगठन के मिशन, मूल्यों और सिद्धांतों को स्पष्ट करती है, उन्हें पेशेवर आचरण के मानकों से जोड़ती है। इस संहिता द्वारा संस्थान का प्रयास व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी के माध्यम से छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है। यह अपेक्षा की जाती है कि सभी छात्र, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी महाविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए इस दस्तावेज़ में उल्लिखित आचार संहिता में सत्यनिष्ठा रखते हुए पूर्ण ईमानदारी के साथ इसका पालन करेंगे और महाविद्यालय परिसर में सद्भाव, अनुशासन और शैक्षणिक वातावरण बनाए रखेंगे।

छात्र आचार संहिता

1. छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे शालीनता बनाए रखते हुए उपयुक्त पोशाक पहनकर महाविद्यालय आएं।
2. प्राचार्य/शिक्षकों/कर्मचारियों और साथी छात्रों के साथ महाविद्यालय में और बाहर शिष्टाचार के साथ व्यवहार करें। छात्र अपने कार्य या आचरण से संस्थान की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
3. प्रत्येक छात्र/छात्रा के पास अपना विधिवत सत्यापित पहचान पत्र होना चाहिए। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय परिसर में अपना पहचान पत्र पहनें।
4. छात्रों को कक्षाओं, परीक्षाओं आदि में भाग लेने के लिए समय का पाबंद और नियमित होना चाहिए। आवश्यक उपस्थिति प्रतिशत प्राप्त करने में विफलता, असाइनमेंट जमा न करना आदि को आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
5. व्याख्यान के संचालन के दौरान छात्र महाविद्यालय परिसर में और उसके आसपास न घूमें। अवज्ञा, कदाचार, दुर्व्यवहार, या अनुशासनहीनता पर छात्र के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वे स्वयं उत्तरदायी हैं।
6. छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे शैक्षणिक, सह-पाठ्यचर्या और पाठ्येतर सुविधाओं का अधिकतम स्तर तक उपयोग करें। यह निश्चित रूप से उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ, अकादमिक रूप से सक्षम, मानसिक रूप से सतर्क और सामाजिक रूप से संवेदनशील बनाएगा।
7. छात्रों से शैक्षणिक भवनों में मर्यादा बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है और किसी भी तरह के विचलित व्यवहार जैसे हूटिंग, सीटी बजाना, घूमना आदि को अनुशासनहीनता के उदाहरण के रूप में माना जाएगा।
8. स्वतंत्र अध्ययन के लिए, छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे कक्षा, पुस्तकालय या शैक्षणिक भवन के सीमांकित क्षेत्रों का उपयोग करें और सीढ़ियों या संचलन क्षेत्रों में बैठने का सहारा नहीं लेंगे जहां वे मुक्त आवाजाही में हस्तक्षेप कर सकते हैं।
9. सभी छुट्टी के आवेदन (नियमित और चिकित्सा) विभागाध्यक्ष और संबंधित शिक्षकों द्वारा स्वीकृति के लिए समय पर प्रस्तुत किया जाए। चिकित्सा अवकाश के लिए आवेदन के साथ वैध चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

10. किसी भी छात्र द्वारा आंतरिक परीक्षणों में लगातार खराब प्रदर्शन और कक्षा में खराब उपस्थिति की स्थिति में, प्राचार्य के पास महाविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति को रोकने का अधिकार है।
11. खाली समय के दौरान, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे यथासंभव पुस्तकालय का उपयोग करें।
12. महाविद्यालय परिसर/कक्षाओं/पुस्तकालय आदि में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है।
13. सभी छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, कॉलेज वर्दी में सभी कॉलेज समारोहों में भाग लें।
14. छात्र प्रतिदिन नोटिस बोर्ड पर लगे सभी परिपत्रों (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) को पढ़ें और उसके अनुसार कार्य करें।
15. प्रत्येक छात्र को कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और महाविद्यालय परिसर में सामान्य स्वच्छता बनाए रखने में मदद करनी चाहिए।
16. महाविद्यालय परिसर के अंदर धूम्रपान, तंबाकू, शराब या नशीले पदार्थों का सेवन सख्त वर्जित है। महाविद्यालय परिसर धूम्रपान मुक्त क्षेत्र है, इसका सम्मान करें।
17. छात्रों को महाविद्यालय की संपत्ति की उचित देखभाल करनी चाहिए। महाविद्यालय परिसर की दीवारों, खंभों, फर्नीचर आदि पर लिखना सख्त वर्जित है। उपर्युक्त का नुकसान कॉलेज के अनुशासन का उल्लंघन है और इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा।
18. रैगिंग एक अपराध है। महाविद्यालय परिसर में रैगिंग पूर्णत: प्रतिबंधित है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल किसी भी छात्र/छात्रा को तुरंत कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाएगा। एंटी रैगिंग शपथ पत्र में सभी छात्रों का हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
19. महाविद्यालय परिसर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है। सभी को महाविद्यालय में अनुशासनात्मक आचरण का पालन करना चाहिए।
20. किसी भी प्रकार की हिंसा और यौन उत्पीड़न के सभी कृत्यों पर सक्षम प्राधिकारी के अनुसार अनुशासनात्मक/दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
21. छात्र/छात्राओं को बिजली और पानी का संरक्षण करना चाहिए। क्लास रूम, लाइब्रेरी के स्टडी रूम और कंप्यूटर लैब से बाहर निकलने पर उन्हें लाइट और पंखे बंद कर देने चाहिए।

22. परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार (नकल करना, प्रतिरूपण, अनुचित साधनों का उपयोग, उत्तर-पुस्तिकाओं का आदान-प्रदान) को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इससे सख्ती से निपटा जाएगा।
23. परीक्षा हॉल के अंदर सेलफोन रखना सख्त वर्जित है। परीक्षाओं के समय अपने बैग में सेलफोन, नकद और अन्य कीमती सामान लाना और रखना छात्रों के अपने जोखिम पर होगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे महाविद्यालय परीक्षाओं के समय सेलफोन और अन्य कीमती सामान न लाएं।
24. आदतन कदाचार/कॉलेज के नियमों और विनियमों का बार-बार उल्लंघन गंभीर अपराध माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप छात्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित/निष्कासित किया सकता है।
25. छात्रों को पुस्तकालय की किताबों/कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ से बचना चाहिए।
26. कॉलेज की संपत्ति को कोई नुकसान या विरूपण एक दंडनीय अपराध है। स्कूल की संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई संबंधित छात्र द्वारा ऐसे अपराध के लिए लगाए गए जुर्माने के साथ की जाएगी।
27. प्रयोगशालाओं में उपकरणों के प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सभी टूट-फूट, नुकसान की सूचना तुरंत शिक्षकों/कर्मचारियों को दी जानी चाहिए।
28. किसी भी छात्र को स्कूल में कोई हथियार या धारदार सामान नहीं लाना चाहिए।
29. किसी भी दुर्घटना या क्षति की सूचना तुरंत प्राचार्य/ शिक्षकों/ कर्मचारियों को दी जानी चाहिए।
30. अभद्र भाषा का प्रयोग/गंदी या अश्लील टिप्पणी करने पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
31. कॉलेज की संपत्ति, या कॉलेज समुदाय के किसी सदस्य की संपत्ति, या अन्य व्यक्तिगत या सार्वजनिक संपत्ति की चोरी और/या नुकसान का प्रयास या वास्तविक चोरी, परिसर में या बाहर एक दंडनीय कार्य के रूप में माना जाएगा।
32. प्राचार्य की अनुमति के बिना छात्रों को किसी भी मुद्रित सामग्री को कॉलेज परिसर में प्रसारित करने की अनुमति नहीं है।
33. महाविद्यालय और लैब के फर्नीचर और उपकरणों को सावधानी से संभालें। उपरोक्त के लापरवाह संचालन/दुरुपयोग के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत चोट लग सकती है या संपत्ति को नुकसान हो सकता है चलती मशीनों और विद्युत प्रतिष्ठानों के पास सुरक्षा सावधानियों का पालन करें।

34. प्राचार्य की पूर्वानुमति के बिना छात्रों को महाविद्यालय में कोई बैठक आयोजित करने या किसी उद्देश्य के लिए धन एकत्र करने से मना किया जाता है।
35. गर्ल्स कॉमन रूम में प्रवेश का अधिकार लड़कियों के लिए सुरक्षित है।
36. छात्रों को साथी छात्रों के साथ बात करते समय किसी भी अपमानजनक, उकसाने वाली, धमकी भरी भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए और खुद को हिंसा से दूर रखना चाहिए।
37. महाविद्यालय के शिक्षण, अनुसंधान, प्रशासनिक गतिविधि और अन्य कार्यवाही में बाधा डालने वाला कोई भी कार्य सख्त वर्जित है।
38. प्रत्येक छात्र कॉलेज परिसर में अपनी गतिविधि और आचरण के लिए कॉलेज प्राधिकरण के प्रति जवाबदेह रहेगा।

शिक्षण/ गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए आचार संहिता

1. शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पित/सत्यनिष्ठ रहेंगे तथा अपने आधिकारिक व्यवहार में ईमानदार और निष्पक्ष होंगे।
2. सभी को पोशाक के मानकों, सामान्य शिष्टाचार आदि के माध्यम से संस्थान की छवि को बनाए रखना चाहिए।
3. समय की पाबंदी, ईमानदारी और पेशेवर नैतिकता के उच्च मानकों को बनाए रखना चाहिए। सभी से अच्छा आचरण प्रदर्शित करने व व्यावसायिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की अपेक्षा की जाती है।
4. प्रत्येक को सार्वजनिक स्थानों/समाज में महाविद्यालय की प्रतिष्ठा, अनुशासन और संस्कृति को बनाए रखना चाहिए। पेशे की गरिमा के अनुरूप अपने निजी मामलों का प्रबंधन करना चाहिए।
5. उच्च अधिकारियों द्वारा उल्लिखित स्थापित नियमों का पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और अनुबंध की शर्तों का पालन करें।
6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर परिपत्रों के माध्यम से जारी किसी भी निर्देश का अनुपालन किया जाना चाहिए।

7. प्रत्येक को निर्धारित कार्य घंटों के दौरान अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहना चाहिए। वैध कारणों या अप्रत्याशित आकस्मिकताओं को छोड़कर पूर्व अनुमति या छुट्टी के अनुदान के बिना ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं रहने की अपेक्षा की जाती है।
8. प्रत्येक से अपेक्षा की जाती है कि वे अवकाश के दौरान उचित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अपना मुख्यालय नहीं छोडेंगे और मुख्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के दौरान उस पते की सूचना देंगे जहाँ वह उपलब्ध हों।
9. महाविद्यालय के सभी सहयोगियों और छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखना चाहिए। दूसरों के अधिकारों और विचारों का सम्मान करें।
10. महाविद्यालय परिसर में अनुशासन लागू करने और बनाए रखने में सहयोग दें।
11. सभी से छात्रों, सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ सहयोग की अपेक्षा की जाती है। छात्रों के समुदाय के सर्वोत्तम हित में विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मियों के बीच पेशेवर रूप से प्रभावी संबंध आवश्यक हैं।
12. सभी को लिंग/जाति/धर्म/पंथ/संप्रदाय/राष्ट्रीयता/भाषा/आयु/वैवाहिक स्थिति से संबंधित मौजूदा विधायी मानदंडों के आधार पर किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या गैरकानूनी भेदभाव से बचना चाहिए। अपने सहयोगियों और छात्रों के बीच भी ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करना चाहिए ।
13. सामाजिक-आर्थिक वर्गों, क्षेत्रों और विशेषताओं को छोड़कर छात्रों के साथ लगन और निष्पक्षता से व्यवहार करना चाहिए।
14. शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
15. सभी सदस्यों से अपेक्षा है कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि से दूर रहें जिससे महाविद्यालय परिसर की और शांति भंग हो। किसी भी संगठित संस्था विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए और किसी भी समूहवाद या अस्वास्थ्यकर गतिविधि को बढ़ावा, प्रोत्साहन, सहायता या प्रेरित नहीं करना चाहिए।
16. किसी ऐसे प्रदर्शन या गतिविधि में भाग नहीं लेना चाहिए जो भारत की संप्रभुता या अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी स्थिति, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या न्यायालय की अवमानना, विरूपण के प्रतिकूल है।
17. छात्र/स्टाफ रिकॉर्ड और अन्य संवेदनशील मामलों के संबंध में गोपनीयता के उचित स्तर को बनाए

18. रखेंगे।

19. कैरियर के विकास के लिए पेशेवर अवसरों का लाभ उठाने में समय के पाबंद और सावधान रहें।

20. पेशे की गरिमा के अनुरूप, सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य संस्थानों की नीतियों के निर्माण और बेहतरी के लिए अपने संस्थान के माध्यम से सहयोग करना चाहिए।

21. सामाजिक समस्याओं से अवगत रहें और ऐसी गतिविधियों में भाग लें जो समाज की प्रगति के लिए अनुकूल हों।

22. महाविद्यालय के संसाधनों/ सुविधाओं का निजी, व्यावसायिक, राजनीतिक या अन्य उद्देश्यों के लिए अनधिकृत उपयोग नहीं करना चाहिए।

23. स्टाफ सदस्यों को अपने ज्ञान को अद्यतन करने के लिए संकाय विकास कार्यक्रमों, गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों आदि में भी भाग लेना चाहिए।

शिक्षकों के लिए शैक्षणिक आचार संहिता

1. प्रत्येक शिक्षक नियमित रूप से और समय पर कक्षाएं लगाएंगे ताकि शैक्षणिक उत्कृष्टता के मानकों को बनाए रखा जा सके। उनके शैक्षणिक कर्तव्यों में महाविद्यालय द्वारा उन्हें सौंपे गए प्रैक्टिकल मूल्यांकन/परीक्षा मूल्यांकन/सेमिनार आदि का कुशलतापूर्वक और लगन से निर्वहन भी सम्मिलित है।
2. प्रत्येक शिक्षक को अपने ज्ञान और अनुभव को कॉलेज के छात्रों के समग्र विकास के लिए लागू करना चाहिए। सत्र के प्रारंभ में विषयवार और सेमेस्टर वार शिक्षण योजना तैयार कर शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया करें।
3. विभागाध्यक्षों को विभाग की समय सारणी और व्यक्तिगत शिक्षक की समय सारिणी प्राचार्य को प्रस्तुत करनी चाहिए। किसी भी परिवर्तन की सूचना प्राचार्य को लिखित रूप में भी दी जानी चाहिए।
4. प्रत्येक शिक्षक को छात्र समुदाय की शिक्षा और कल्याण के लिए सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों और महाविद्यालय की अन्य गतिविधियों में पूरा सहयोग देना चाहिए । सामुदायिक सेवा सहित विस्तार, सह-पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेना चाहिए।

5. शिक्षक को महाविद्यालय द्वारा उन्हें सौंपे गए जिम्मेदारियों से संबंधित कार्यों को पूरा करने में सहयोग करना चाहिए जैसे: प्रवेश के लिए आवेदनों का मूल्यांकन, छात्रों को सलाह /परामर्श देना, परीक्षाओं के संचालन में सहायता,पर्यवेक्षण, निरीक्षण आदि ।

6. शिक्षकों को अध्ययन और अनुसंधान के माध्यम से व्यावसायिक विकास की निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। ज्ञान के योगदान के प्रति पेशेवर बैठकों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों आदि में भाग लेकर स्वतंत्र और स्पष्ट राय व्यक्त करें।
7. प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और अन्य कैरियर उन्मुख कार्यक्रमों के छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेने के लिए शिक्षकों से स्वयंसेवी की अपेक्षा की जाती है।
8. प्रत्येक शिक्षक को अपनी राय व्यक्त करने में छात्र के अधिकार का सम्मान करना चाहिए।
9. शिक्षकों को छात्रों के बीच योग्यता और क्षमताओं में अंतर को पहचान कर और उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को समझकर उचित और निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए।
10. छात्रों को उनकी उपलब्धियों में सुधार करने, उनके व्यक्तित्व का विकास करने और साथ ही समुदाय कल्याण में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
11. छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और लोकतंत्र, देशभक्ति, राष्ट्रीय विरासत, शांति के आदर्शों और शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान पैदा करना चाहिए।
12. शिक्षक छात्रों के समग्र विकास के लिए नवोन्मेषी विचारों का उपयोग करके छात्र केंद्रित कार्यक्रमों का आयोजन करें। छात्रों को उनकी उपलब्धियों में सुधार करने, उनके व्यक्तित्व का विकास करने और साथ ही सामुदायिक कल्याण में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करें।
13. शिक्षण और संबद्ध गतिविधियों के कर्तव्यों के अलावा, शिक्षक, जब आवश्यक हो, कॉलेज के विभाग/समितियों/प्रकोष्ठों द्वारा आयोजित पाठ्येतर, सह-पाठयक्रम गतिविधियों में भाग लेंगे।शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय से संबंधित अन्य पाठ्यचर्या या पाठ्येतर कार्य में पूर्ण उत्साह से सम्मिलित रहेंगे।
14. शिक्षकों को समुदाय में शिक्षा में सुधार और समुदाय के नैतिक और बौद्धिक जीवन को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए।
15. शिक्षकों को सत्रीय परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, शोध प्रबंध, थीसिस में छात्रों के प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए।

16. शिक्षक अच्छे परामर्शदाता और सूत्रधार होने चाहिए। उन्हें शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया प्रभावी और सफल करने के लिए छात्रों की मदद, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और सहायता करनी चाहिए। मूल्य आधारित शिक्षा उनका आदर्श वाक्य होना चाहिए।
17. शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकें लिखने, प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित करने, संगोष्ठियों और सम्मेलनों में पत्र प्रस्तुत करने और अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने के लिए के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
18. शिक्षक बौद्धिक ईमानदारी के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करेंगे जैसे कि और दूसरों के लेखन/शोध निष्कर्ष का दुरुपयोग।